

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2019 / एस-5063

जयपुर, दिनांक : 25.03.2019

आदेश

मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 99/2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.03.2019 की पालना में मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. शुभांशु जैन, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान ई. एस. आई. नम्बर 10, जयपुर में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 99/2019 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.03.2019 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
3. निदेशक (ई. एस. आई.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संबंधित अधिकारी
5. कम्प्यूटर सेल
6. निजी /रक्षित पत्रावली



(ओ. पी. वर्मा)

शासन सहायक सचिव